गुरदेव सिंह

बनाम

नारेन सिंह

12 नवम्बर, 2007

(एस.बी. सिन्हा और हरजीत सिंह बेदी, जे.जे.)

डिक्री का निष्पादन - निष्पादन करने वाले न्यायालय का क्षेत्राधिकार - प्रतिवादी को वादी की भूमि पर पेड़ लगाने से रोकने वाली स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री वाद भूमि पर से पेडो को हटाने का आवेदन - निष्पादन न्यायालय द्वारा यह विचार करते हुए स्वीकार किया कि डिक्री का स्पष्ट और सीधे तौर पर आशय था कि विर्दिष्ट स्थल पर कोई पेड़ नहीं होना चाहिए। अभिनिर्धारित किया गया कि निष्पादन न्यायालय डिक्री से बाहर नहीं जा सकता। डिक्री द्वारा डिक्रीधारक को यह अधिकार नहीं दिया गया कि वह पेड़ों को हटाकर डिक्री का निष्पादन करा सके और न ही निष्पादन न्यायालय के डिक्री के अन्तर्निहित आशय के आधार पर यह निर्देशित कर सकता है। मामला निष्पादन न्यायालय को यह विनिश्चय करने हेतु प्रतिप्रेषित किया गया कि क्या पेड डिक्री पारित करने से पूर्व अस्तिव में थे अथवा नहीं।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार - सिविल अपील संख्या 5237/2007।

पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय, चण्डीगढ के सी.आर. नम्बर 4526/2004 में पारित अंतिम निर्णय आदेश दिनांक - 23.2.2006 से।

अपीलार्थी की ओर से सरुप सिंह, यश पाल ढींगरा व कुलदीप सिंह।

प्रत्यर्थी की ओर से जी.एस. पूनिया, देवेन्द्र मोहन वर्मा व मीनाक्षी विज।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश सुनाया गया।

आदेश

अनुमति प्रदान की गई।

प्रतिवादी ने स्थायी निषेधाज्ञा में दावा अपीलार्थी के विरूद्ध पेश किया था, जो सिविल वाद संख्या 226/1987 में दर्ज किया गया था। विद्वान विचारणीय न्यायालय ने स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री दिनांक 19.1.1989 को पारित की गई, जिसका प्रभावी भाग निम्नानुसार है -

> "उक्त मुकदमा अंतिम निस्तारण हेतु पेश हुआ। पक्षकारान के अधिवक्तागण की उपस्थिति में आदेशित किया गया कि वादी का वाद विरुद्ध प्रतिवादी बाबत स्थायी निषेधाज्ञा इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि प्रतिवादी को खसरा नम्बर 17/2 जिसके एक ओर खसरा नम्बर 218/1 व दूसरी ओर खसरा नम्बर 17/1 स्थित है, जो ग्राम अब्बूपुरा तहसील, जगराओं जिला लुधियाना में स्थित है, में पेड़ लगाने से रोका जाता है। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।"

डिक्रीदार की ओर से डिक्री के निष्पादन हेतु आवेदन पेश कर उक्त भूमि से पेड हटाने हेतु निवेदन किया, जिस हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया। जिसके द्वारा इस प्रकार रिपोर्ट पेश की गई-

(I) विवादित स्थल की तुलना विवादित संपत्ति जहां बोहर के पेड़ मौजूद थे, से की।

(ii) मैंने बोहर पेड़ की दूरी की नाप मापक से खसरा नम्बर 17/2 व खसरा नम्बर 218/1 कामन से की। बट के केंद्र बिंदु से बोहर

वृक्ष की त्रिज्या के केंद्र बिंदु तक 11 फीट यानी 2 करम है।

(iii) बोहर पेड़ की टहनियां आम बट से खसरा नंबर 218/1 में लगभग 6-7 फीट तक आती हैं।

(iv) मैंने घटनास्थल पर एक कच्चा नक्शा-मौका तैयार किया, जो इसके साथ संलग्न है। मेरे अवलोकन के अनुसार बोहर पेड़ का आधा हिस्सा पार्टियों की संपत्ति के सामान्य बट से दो करम के भीतर आता है।

विद्वान आयुक्त ने अपनी रिपोर्ट में यह नहीं बताया कि बोहर का पेड़ डिक्री पारित होने के बाद लगाया गया था।

निष्पादन न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट के आधार पर या उक्त रिपोर्ट का अवलंब लेते हुए अपेक्स न्यायालय के कुछ निर्णयों में यह निर्णीत किया गया कि निष्पादन न्यायालय के पास डिक्री को लागू करने के लिए अपेक्षित क्षेत्राधिकार है, निम्नलिखित राय दी गई है-

"अब उपरोक्त मामलों के अनुपात को लागू करते हुए इस न्यायालय को यह देखना होगा कि डिक्री का आशय क्या था, जो निष्पादन के अधीन थी और यह स्पष्ट है कि डिक्री का स्पष्ट अर्थ यह है कि पक्षकारों की सामान्य सीमा के किसी भी ओर दो करम के भीतर कोई पेड़ नहीं होना चाहिए और यदि है, तो डिक्री को लागू करने के लिए निष्पादन न्यायालय इसे हटाने का आदेश दे सकता है। वर्तमान मामले में, स्थानीय आयुक्त द्वारा यह कहा गया है कि पेड़ 2 करम के भीतर है। इसके अलावा, जे.डी. मदयून उस पेड़ पर कोई दावा नहीं करता है। बल्कि उसके द्वारा इसे प्राकृतिक रूप से उगने वाले पेड़ के रूप में

निवेदन किया गया है। इसलिए, इन परिस्थितियों में, जेडी को उन पेड़ों को आज से एक महीने की अवधि के भीतर हटाने का निर्देश दिया गया है जो आम बट के 2 करम के भीतर खड़े हैं ।"

आक्षेपित निर्णय के आधार पर उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश की पुष्टि की है।

अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री स्वरूप सिंह ने कहा कि निष्पादन न्यायालय और उच्च न्यायालय ने भी डिक्री की व्याख्या करने में स्पष्ट त्रुटि की है।

हम उपरोक्त तर्क से सहमत हैं। विचाराधीन डिक्री के मात्र अवलोकन से यह स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगा कि अपीलकर्ता को खसरा संख्या 17/2 के एक ओर और खसरा संख्या 218/1 और 17/1 दूसरी ओर कोई भी पेड़ लगाने से स्थायी निषेधाज्ञा द्वारा रोका गया था। डिक्री में पहले से लगे किसी भी पेड़ को हटाने का जिक्र नहीं था। निष्पादन न्यायालय, जैसा कि यहां पहले देखा गया है, उक्त डिक्री की व्याख्या करते समय पूरी तरह से गलत आधार पर आगे बढ़ा कि पक्षकारों की सामान्य सीमा में किसी भी ओर दो करम के भीतर कोई पेड़ नहीं होना चाहिए। ऐसी व्याख्या स्पष्ट रूप से डिक्री के तत्व के अनुरूप नहीं है। इस प्रकार, उच्च न्यायालय द्वारा एक क्षेत्राधिकार संबंधी त्रुटि की गई है।

यह स्पष्ट है कि निष्पादन अदालत डिक्री से बाहर नहीं जा सकता। चूंकि डिक्री ने डिक्रीदार को पेडों को हटाने के लिए डिक्री के निष्पादन हेतु प्रार्थना करने के लिए तैयार नहीं था, इसलिए निष्पादन के तहत डिक्री के आशय के आधार पर विद्वान निष्पादन न्यायालय द्वारा निर्देशित नहीं किया जा सकता था। इसलिए, हम आक्षेपित निर्णय को रद्द करते हैं और मामले को इस प्रश्न के निर्धारण के लिए निष्पादन न्यायालय में भेजते

हैं कि डिक्री पारित होने से पहले बोहर वृक्ष अस्तित्व में थे या नहीं। इसके बाद निष्पादन अदालत विधि के अनुसार मामले को आगे बढ़ा सकती है।

बिना किसी शुल्क के अपील स्वीकार की जाती है।

अपील स्वीकृत है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी सुषमा शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।